

एकल आवासीय भवन/भूखण्ड के मानचित्र स्वीकृति हेतु वाँछित प्रपत्र/अभिलेख

- प्रपत्र 'क' प्रस्तावित मानचित्रों हेतु। (संलग्नक-अ)
- प्रपत्र 'ख' मानक मानचित्रों हेतु। (भवन हेतु) (संलग्नक-ब)
- आवंटन पत्र की प्रति।
- कब्जा प्रमाण पत्र/इन्वेन्ट्री की प्रति।
- निर्माण खण्ड द्वारा प्रदत्त साइट प्लान की प्रति।
- सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा निर्गत नामान्तरण प्रमाण पत्र (मूल आवंटी न होने की दशा में।)
- सम्पत्ति कार्यालय द्वारा अनिर्माण शुल्क से सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र। (यथा आवश्यक)
- पूर्व स्वीकृत मानचित्र की मूल प्रति एवं स्वीकृत पत्र। (यदि पूर्व में मानचित्र स्वीकृत हुआ है।)
- बैंक चालान की प्रति। (न्यूनतम धनराशि रू0 1000.00) लखनऊ में मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन किये जाने की दशा में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स, आर0एस0एम0 नगर, लखनऊ की शाखा अधिकृत है।
- मानचित्र 03 प्रतियों में, जिसमें 01 प्रति के पीछे कपड़ा लगा हो। (पैमाना 1:100/उपयुक्त पैमाने पर)
- शपथ पत्र:- क-अनाधिकृत निर्माण न किये जाने सम्बन्धी/ख-सेस सम्बन्धी /ग-पूर्व निर्मित भवन को ध्वस्त कर पुनः निर्माण हेतु।
- विकय विलेख/फ़ी होल्ड डीड की प्रति।
- वास्तुविद का सी0ओ0ए0 में पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति।
- आवेदक के अर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- भवन निर्माण लागत की विस्तृत गणना एवं शपथ पत्र (जो पंजीकृत वास्तुविद द्वारा सत्यापित एवं आवंटी द्वारा हस्ताक्षरित)
- सेस-भवन निर्माण लागत का 01 प्रतिशत स्थानीय श्रम विभाग कार्यालय में जमा रसीद प्रस्तुत की जानी होगी। (भवन निर्माण लागत 10 लाख से अधिक होने पर)
- इण्डेमिनिटी बॉण्ड बेसमेन्ट के निर्माण हेतु। (संलग्न प्रारूप 'स' के अनुसार 100/- के स्टैम्प पेपर पर)
- पूर्व स्वीकृत मूल मानचित्र खो जाने की दशा में (संलग्न प्रारूप 'द' के अनुसार 100/- के स्टैम्प पेपर पर) एफ0आई0आर0 की मूल प्रति सहित।
- सम्पत्ति कार्यालय द्वारा निर्गत अध्यावधिक भुगतान प्रमाण पत्र। (यथा आवश्यक)
- मानचित्र स्वीकृति हेतु समस्त शुल्क संलग्न दरों के अनुसार जमा किया जाना होगा।
- सभी वाँछित प्रपत्रों की छाया प्रति सत्यापित होना अनिवार्य है।

बहुमंजिले भवन-आवासीय, समूह आवास, व्यवसायिक, संस्थागत, शैक्षिक, सामुदायिक, नर्सिंग होम एवं अन्य/मुखण्ड के मानचित्र स्वीकृति हेतु वाँछित प्रपत्र/अभिलेख

- प्रपत्र 'क' प्रस्तावित मानचित्रों हेतु। (संलग्नक-अ)
- आवंटन पत्र की प्रति।
- कब्जा प्रमाण पत्र की प्रति।
- इण्डेन्ट्री प्रमाण पत्र की प्रति (भवन हेतु)
- निर्माण खण्ड द्वारा प्रदत्त साइट प्लान की प्रति।
- पूर्व स्वीकृत मानचित्र की मूल प्रति एवं स्वीकृत पत्र। (यदि पूर्व में मानचित्र स्वीकृत हुआ है।)
- बैंक चालान की प्रति। (न्यूनतम धनराशि रू0 1000.00) लखनऊ में मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन किये जाने की दशा में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स, आर0एस0एम0 नगर, लखनऊ की शाखा अधिकृत है।
- मानचित्र 03 प्रतियों में, जिसमें 01 प्रति के पीछे कपड़ा लगा हो। (पैमाना 1:100/उपयुक्त पैमाने पर)
- शपथ पत्र :- क- अनाधिकृत निर्माण न किये जाने सम्बन्धी/ख-सेस सम्बन्धी /ग-पूर्व निर्मित भवन को ध्वस्त कर पुनः निर्माण हेतु।
- विकय विलेख/फी होल्ड डीड की प्रति।
- वास्तुविद का सी0ओ0ए0 में पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति।
- भवन निर्माण लागत की विस्तृत गणना एवं शपथ पत्र (जो पंजीकृत वास्तुविद द्वारा सत्यापित एवं आवंटी द्वारा हस्ताक्षरित)
- सेस-भवन निर्माण लागत का 01 प्रतिशत स्थानीय श्रम विभाग कार्यालय में जमा रसीद प्रस्तुत की जानी होगी। (भवन निर्माण लागत 10 लाख से अधिक होने पर)
- इण्डेमिनिटी बॉण्ड बेसमेन्ट के निर्माण हेतु। (संलग्न प्रारूप 'स' के अनुसार 100/- के स्टैम्प पेपर पर)
- पूर्व स्वीकृत मूल मानचित्र खो जाने की दशा में (संलग्न प्रारूप 'द' के अनुसार 100/- के स्टैम्प पेपर पर) एफ0आई0आर0 की मूल प्रति सहित।
- सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा निर्गत नामान्तरण प्रमाण पत्र (मूल आवंटी न होने की दशा में।)
- सम्पत्ति कार्यालय द्वारा निर्गत अध्यावधिक भुगतान प्रमाण पत्र। (यथा आवश्यक)
- सम्पत्ति कार्यालय द्वारा अनिर्माण शुल्क से सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र। (यथा आवश्यक)
- मानचित्र स्वीकृति हेतु समस्त शुल्कों को संलग्न दरों के अनुसार जमा किया जाना होगा।
- अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में। 04 मंजिल से अधिक अथवा 15 मी0 से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा शैक्षिक, ऐसेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों, जिनका भू-आच्छादन 500 वर्ग मी0 से अधिक है। (अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं मानचित्र के 04 सेट)
- विमान पत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में। (एयर फनल जोन के अन्तर्गत सम्पत्ति हेतु)
- (i) भूतल सहित तीन मंजिल से अधिक अथवा 12 मी0 से अधिक ऊँचाई के भवन तथा 500 वर्ग मी0 से अधिक भू-आच्छादन की दशा में स्ट्रक्चरल डिजाइन/गणना एवं भवन उपविधि के परिशिष्ट-7, 8, 9, 10 यथा निर्धारित संलग्न प्रारूप पर। (मानचित्र एवं परिशिष्ट के 04 सेट)
- (ii) स्ट्रक्चरल इजी0 की अर्हताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-12 के अनुसार)
- सभी वाँछित प्रपत्रों की छाया प्रति सत्यापित होना अनिवार्य है।



भूखण्ड/भवन में निर्माण/पुर्ननिर्माण/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रपत्र-‘क’

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016

मैं भवन/भूखण्ड/खसरा संख्या.....योजना.....नगर.....
में निर्माण/परिवर्तन करने हेतु वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो शासनादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत मानचित्र की.....प्रतियों सहित आवेदन करता हूँ, जिनमे भवन मानचित्र, सेवाओं हेतु मानचित्र, सामान्य विशिष्टियाँ आदि दर्शित कर दिया गया है।

2. मैंने मानचित्र स्वीकृति हेतु निम्नानुसार शुल्क ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, इन्दिरा नगर फैंजाबाद रोड लखनऊ में परिषद के खाता संख्या 04272010051840 में जमा कर कुल शुल्क रू०.....के चालान की तृतीय प्रति मूलरूप में संलग्न कर दी है।

2.1 मानचित्र स्वीकृति शुल्क रू०.....

2.2 मलबा संचय शुल्क रू०.....

2.3 निर्माण जल व्यय शुल्क रू०.....

2.4 पर्यवेक्षण शुल्क रू०.....

कुल शुल्क रू०-

3. मैं प्रमाणित करता हूँ कि आर्कीटेक्ट.....(काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर द्वारा पंजीकृत संख्या CA/.....) जो इस निर्माण का पर्यवेक्षण करेगे, द्वारा मानचित्र की प्रतियाँ हस्ताक्षरित की गयी है।

कृपया प्रस्ताव को स्वीकृत कर यथा अनुमति प्रदान करे।

दिनांक

भवन/भूस्वामी के हस्ताक्षर :

स्थान

भवन/भूस्वामी के नाम :

पत्राचार का पता :

ई-मेल/फैक्स/दूरभाष सं० :

क्रमशः.....2



भवन में अतिरिक्त निर्माण हेतु मानक विस्तार मानचित्र हेतु आवेदन प्रपत्र- 'ख'

वास्तुविद नियोजक
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
वृन्दावन योजना लखनऊ
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016

मैं भवन संख्या.....योजना.....नगर.....में मानक निर्माण करने हेतु भवन निर्माण उपविधि-2000 के प्रस्तर 3.1.2 के अन्तर्गत आवेदन करता हूँ।

2. मैंने मानचित्र स्वीकृत हेतु निम्नानुसार शुल्क ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स फ़ैजाबाद रोड, इन्दिरा नगर लखनऊ में परिषद के खाता संख्या 20672 में जमा कर कुल शुल्क रु०.....के चालान की तृतीय प्रति मूल रूप में संलग्न कर दी है।

- 2.1 मानचित्र स्वीकृति शुल्क रु०.....
2.2 मलबा संचय शुल्क रु०.....
2.3 निर्माण जल व्यय शुल्क रु०.....
2.4 पर्यवेक्षण शुल्क रु०.....

कुल शुल्क रु०

3 मेरे भवन का हाउस टाइप.....है तथा इसमें प्रवेश करते समय डब्लू सी०-बाथ बायीं ओर/दाहिनी ओर है (कृपया उचित स्थान पर ✓ का चिन्ह लगाये।)

4. निम्न में से उचित विकल्प हेतु ✓ का चिन्ह लगाये।

- 4.1 मैं केवल भूतल पर निर्माण करना चाहता हूँ अथवा
4.2 मैं केवल प्रथम तल तथा ममटी का निर्माण कराना चाहता हूँ अथवा
4.3 मैं भूतल प्रथम तल तथा ममटी का निर्माण कराना चाहता हूँ
कृपया प्रस्ताव को स्वीकृत कर यथा अनुमति प्रदान करें।

दिनांक भवन/भूस्वामी के हस्ताक्षर :
भवन/भूस्वामी के नाम :
पत्राचार का पता :
स्थान
ई-मेल/फ़ैक्स/दूरभाष सं० :

क्रमशः.....2

(Handwritten signature)

शपथ पत्र का प्रारूप

आवास आयुक्त

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

प्रारूप अनाधिकृत निर्माण न किये जाने के सम्बन्ध में

- क (i) मैं.....आयु.....वर्षपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती.....
निवासी.....स्वामी/प्रदिष्टि, आंवटी भवन/भूखण्ड
संख्या.....योजना.....नगर.....
.....में कोई अनाधिकृत निर्माण नहीं कराया है और मानचित्र स्वीकृत होने तक मैं इस
भूखण्ड संख्या.....में कोई निर्माण नहीं कराऊँगा।
- (ii) मेरे द्वारा भवन निर्माण सामग्री का संचय /निर्माण सम्बन्धी अन्य क्रियाओं को अपने भवन
के सामने ही किया जायेगा। मेरे द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा की सड़क यातायात
बाधित नहीं होगा।

शपथी

सेस सम्बन्धी

- ख (i) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....(आवेदक का नाम) के
भूखण्ड/भवन संख्या-.....का कुल आच्छादित क्षेत्रफल..... वर्ग मीटर है एवं
जिसकी निर्माण दर (विस्तृत गणना शीट और प्रमाणित अनुसार उपरोक्त समस्त सूचना एवम्
गणना सही।) प्रति वर्ग मीटरहै तदनुसार भवन की कुल निर्माण लागत रु०
है।

शपथी

पंजीकृत आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर COA पंजीकरण संख्या/पते
सहित जिनके द्वारा भवन/भूखण्ड के निर्माण लागत की
गणना की गई है। संलग्नक-विस्तृत गणना संलग्न है।

पूर्व निर्मित भवन को तोड़कर पुनः निर्माण हेतु

- ग (i) यह की शपथी ने परिषद की..... में भवन संख्या.....को कय किया है, जिसकी
रजिस्ट्री अपने पक्ष में करा ली है।
- (ii) यह भवन परिषद द्वारा निर्मित है, जिसको तुड़वाकर निर्माण करवाना चाहता/चाहती हूँ तथा
भवन को तुड़वाने एवं निर्माण करवाते समय अगल-बगल के भवनों में हुई किसी प्रकार की
क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
- (ii) भवन की कॉमन वाल को मेरे द्वारा क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी। कॉमन वॉल, सीवर लाईन,
वॉटर लाइन इत्यादि को यथावत् रखा जायेगा।
- (iv) पूर्व निर्मित भवन अनुसार ही साइट सेट-बैक बायें/दायें प्रस्तावित भवन में छोड़ा जायेगा।

मैं शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ की शपथ पत्र की धारा क,ख,ग का कथन सही है
एवं उल्लंघन किये जाने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मेरा होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर एवं दिनांक सहित

नोटरी/सबजज/मजिस्ट्रेट
दिनांक सहित

INDEMNITY BOND FOR BASEMENT

This Indemnity Bond is executed by Shri/Smt.....Owner of HouseNo./PlotNo..... Scheme.....Town..... (thereafter called the owner) in favour of U.P.Avas Evam Vikas Parishad (Hereinafter called the Parishad).

Where the owner has submitted to the Parishad plans for sanction of basement over Plot No.-..... under the provision of parishad act and the regulation made thereunder,

And where as parishad has agreed to sanction the aforesaid construction subject to the conditions that the owner shall indemnify Parishad in the event of any loss or damage been caused to the adjoining building on account of the constructions of the said basement either at the time of digging or it foundation or in the course of its constructions or even thereafter and also against any claim of any concern theretoo.

And where as that the owner has agreed to execute an indemnity bond to the above effect an also to abide by the terms. Impose by the Parishad who the grant of sanction of basement.

Now this Deed witnesseth :

That in consideration of the sanction of the plan of the owner for construction of the basement, the owner undertakes that he shall at all times keep the parishad harmless and free from any liability , loss or damage following from any injury or damage caused to the adjoining basement , either properties or any person as a consequence of the constructions at the time of digging of its foundation or during the course of its construction or any time thereafter.

2. The owner agrees and undertakes that in event of any claim been made by any person or persons against the Parishad either in respect of the sanction granted by the parishad to the owner for the construction of the basement in respect of constructions or manner of construction of the basement by the owner or the consequences following for the said sanction, the owner shall be responsible and liable and not the Parishad.
3. The owner agrees and undertakes to indemnify the Parishad fully in respect of any amount which the Parishad may be required to pay to any person by the way of compensation or damage or on any other account as result of any claim or suit or any other proceedings concernering the sanctioning of the construction of the basement or the making thereof and also in respect of the cost and expenses which the parishad may incur or defending any action.
4. Without prejudice to the above undertaking the owner hereby binds itself to pay to the Parishad to the full extent any amount which the parishad may be required to pay any person in the connection with or relating to or concerning the sanctioning of the basement of the extention of house or making thereof.
5. The owner further agrees and undertakes that this bond shall remain in full force and effect till the owner faithfully, observes and performs the undertaking therein before contained .
6. IN WITNESS WHEREOF the owner above named has signed this bond on this..... Day.....of.....at.....

Witness

- (signature)
1. Name.....
Full Address.....
.....

- (signature)
2. Name.....
Full Address.....
.....

INDEMNIFIER

INDEMNITY BOND FOR MISPLACED ORIGINAL SANCTIONED MAP

This Indemnity Bond is executed by Shri/Smt.....Owner of House No./PlotNo.....Scheme.....Town..... (thereafter called the owner) in favour of U.P.Avas Evam Vikas Parishad (thereafter called the Parishad).

Whereas the owner has submitted to the Parishad plans for sanction of extention for his /her house mentioned above under the provisions of Parishad Act. and the Regulations made there under.

And whereas Parishad has agreed to sanction the aforesaid construction subject to the condition that the owner shall indemnify Parishad in the event of any misrepresentation of the previously sanctioned plans causing any adverse consequences.

And whereas the owner has agreed to execute an indemnity bond to the above effect and also to abide by the terms imposed by the Parishad to the grant of the extension of the house.

Now this Deed witnesseth :

1. The owner agrees and undertakes that in event of any claim made by any person or persons against the Parishad, either in respect of the sanction granted by the Parishad to the owner for the construction of the extension of house or the manner of the construction or the consequences following form the said sanction, the owner shall be responsible and liable and not the Parishad.
2. The owner agrees and undertakes to indemnify the Parishad fully in respect of any amount which the parishad may be required to pay to any person/persons either by the way of compensation or on any other account as a result of any claim or suit or any other proceedings concering the sanctioning of the said extension work or the making thereof and also in the respect of the cost and expenses which the parishad may incur on defending any action.
3. Whithout prejudice to the above undertaking the owner hereby binds itself to pay to the Parishad to the full extent any amount which the parishad may be required to pay any person/persons in connection with or relating to or concering the sanctioning of the extension work or the making thereof.
4. The owner further agrees and undertakes that this bond shall remain in full force and effect till the owner faithfully, observes and performs the undertaking therein before contained .

IN WITNESS WHEREOF the owner above named has signed this bond on this..... Day.....of.....at.....

INDEMNIFIER

Witness

(signature)

1. Name.....
Full Address.....
.....

(signature)

2. Name.....
Full Address.....
.....

1- मानक विरलार मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु अनुज्ञा शुल्क

क्र.सं.	भवन का प्रकार	वर्ष 2004 में निर्धारित दर (वर्तमान में प्रचलित)	वर्तमान में प्रस्तावित दर
1	साइट एण्ड सर्विसेज, सर्विसेज भूखण्ड, दुर्बल आय वर्ग	10.00	23.00
2	उच्च आय वर्ग	20.00	46.00
3	माध्यम आय वर्ग	1000.00	2300.00
4	उच्च आय वर्ग / स्व-वित्त पोषित	1500.00	3450.00

2- मानचित्र स्वीकृत शुल्कों की दरें ।

क्र.सं.	नद	वर्तमान में लागू दर (₹0 में)	प्रस्तावित दर (₹0 में)
1	अन्वय फीस (प्रति वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्रफल)	20.00	35.00
2	निरीक्षण शुल्क (प्रति वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्रफल)	5.00	15.00
3	सुदृढीकरण शुल्क (प्रति वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्रफल)		80.00
4	मानचित्र प्रार्थना पत्र (प्रति फार्म)	1.00	90.00
5	स्वतः स्वीकृत योजनान्तर्गत प्रार्थना (प्रति फार्म)		130.00

3- जल शुल्क भवनों/भूखण्डों हेतु ।

क्र.सं.	भवन का प्रकार	भूखण्ड	वर्ष 2004 में निर्धारित दर (वर्तमान में प्रचलित)	वर्तमान में प्रस्तावित दर
1	उच्च आय वर्ग	200 वर्गमी० से अधिक	40.60	94.00
2	माध्यम आय वर्ग	100 वर्गमी० से अधिक परन्तु 200 वर्गमी० तक	39.90	92.00
3	आस्य आय वर्ग	50 वर्गमी० से अधिक परन्तु 100 वर्गमी० तक	37.10	85.00
4	दुर्बल आय वर्ग	50 वर्गमी० तक भूखण्डों के क्षेत्रफल	33.30	77.00

Handwritten signature

6-सम्पत्तियों के मानचित्र शुल्क की दरों की सूची।

SI NO	Nature of proposed development	Description of its construction	Prevailing Rate in parishad	Proposed Rate on the basis of Lda proposal
1	Residential Building	(a) for a building having a total covered area 60 square meters.	125.00	230.00
		(b) for a building having a total covered area of all the floors above 60 square meters but not exceeding 120 sq. mt.	250.00	370.00
		(c) for a building having a total covered area of all the floors above 120 square meters but not exceeding 180 sq. mt.	500.00	510.00
		(d) for a building having a total covered area of all the floors above 180 square meters	500.00	920.00
2	Group Housing Building	(a) for each unit having covered area upto 60 square meters	125.00	350.00
		(b) for each unit having covered area above 60 square meters but not exceeding 120 square meters	250.00	560.00
		(c) for each unit having covered area above 120 square meters but not exceeding 180 square meters	500.00	760.00
		(d) for each unit having covered area above 180 square meters	500.00	1380.00
3	Commercial Building	(a) for a building having a total covered area of all the floors upto 20 square meters	250.00	1840.00
		(b) for a building having a total covered area of all the floors above 20 square meters but not exceeding 50 square meters	500.00	2760.00
		(c) for a building having a total covered area of all the floors above 50 square meters but not exceeding 100 square meters.	750.00	3680.00
		(d) for a building having a total covered of all the floors above 100 square meters upto 100 square meters as in the above clauses (c) and for every additional 50 sq.mt. or part.	500.00	1840.00
4	Residential cum Commercial Building	For such a building. The fee shall be determined according to the rates prescribed in Items (1) and (3) above, on the basis of the area proposed to be used for any of the two purposes.		
5	Building to be used for religious educational for charitable	(a) for a building having a total covered area of all the floors upto 100 square meters.		230.00
		(b) for a building having a total covered area of all the floors above 100 square meters but not exceeding 200 square meters		460.00
		(c) for a building having a total covered area of all the floors above 200 square meters.		690.00
6	Industrial Building	(a) for a building having a total covered area of all the floors upto 200 square meters.		1840.00
		(b) for a building having a total covered area of all the floors above 200 square meters (upto 200 square meters) as in the above clauses (a) for every additional 100 sq.mt. or part.		920.00
7	Plan for development of site	(a) for an area upto 5.0 hectares or part of it.	2000.00	1.00 lacs
		(b) For every additional 5.0 hectares or part of it.	1000.00	1.00lacs

change

Hofar

STRUCTURAL SAFETY AND NATURAL HAZARD PROTECTION OF BUILDINGS
(उपविधि संख्या-13.1)

1. Requirements specified in the following Indian Standards, Codes and guidelines and other documents needs to be observed for structural safety and natural hazard protection of buildings etc:-

a) For General Structural Safety

1. IS : 1905 -1987 "Code of Practice for Structural use of unreinforced Masonry (third revision)" Indian Standards Institution, March 1981
2. IS : 1904 -1978 "Code of Practice for Structural Safety of Buildings : Foundations" Indian Standards Institution
3. IS : 456 -2000 "Code of Practice for Plain and Reinforced Concrete" Indian Standards Institution, September 2000
4. IS : 800 -1984 "Code of Practice for general Construction in Steel" Indian Standards Institution, February, 1985
5. IS : 883 -1966 "Code of Practice for Design of Structural Timber in Building", Indian Standards Institution, March, 1967
6. IS 875 (Part 2) : 1987 "Code of Practice for design loads (other than earthquake) for building and structures : Part 2 Imposed loads (Second revision)
7. IS 875 (Part 3) : 1988 "Code of Practice for design loads (other than earthquake) for building and structures : Part 3 Wind loads (Second revision)
8. IS 875 (Part 5) : 1987 "Code of Practice for design loads (other than earthquake) for building and structures : Part 5 Special loads and load combinations (Second revision)

Besides, any other relevant Indian Standards will need to be referred to.

b) For Earthquake Protection

6. IS : 1893 (Part 1) "Criteria for Earthquake Resistant Design of Structures ; General Provisions and Buildings Part 1(fifth Revision)"
7. IS : 13920-1993 "Ductile Detailing of Reinforced Concrete Structures subjected to Seismic forces- Code of Practice" November 1993
8. IS : 4326-1993 "Code of Practice for Earthquake Resistant Design and Construction of Buildings (Second Revision)" October 1993
9. IS : 13828-1993 " Improving Earthquake Resistance of Low Strength Masonary Buildings - Guidelines " August 1993
10. IS : 13827-1993 " Improving Earthquake Resistance of Earthen Buildings - Guidelines " October 1993
11. IS : 13935-1993 " Repair and Seismic Strengthening of Buildings - Guidelines" November 1993



12. "Improving Earthquake Resistance of Buildings – Guidelines " by Expert Group, Government of India, Ministry of Urban Affairs & Employment, published by Building Materials and Technology Promotion Council, 1998
13. The National Building Code of India-2005
For location of the building in hazard prone area of earthquakes, cyclone or wind storms and floods, reference may be made to the following:
14. "Vulnerability Atlas of India", by Expert Group, Government of India, Ministry of Urban Affairs & Employment, published by Building Materials and Technology Promotion Council, 1997

Note:

1. As and when anyone of the above referred standards and documents is revised, the design and construction of buildings thereafter must satisfy the latest version for approval of the building plans by the concerned local authority.

Hester

BUILDING INFORMATION SCHEDULE
(उपविधि संख्या-13.2)

परिशिष्ट-8
(पृष्ठ-1/2)

1.	Building Address	Plot No.	Scheme/Colony	Town	District
2.	Building function & Locations				
2.1	Use	Institutional	Commercial	Industrial	*
2.2	Importance	Ordinary	Important	Hazardous	* IS:1893
2.3	Seismic Zone (Design Intensity Used)	V(IX)	IV(VIII)	III(VII)	II(VI) IS:1893
3.	Design EQ Factor	$\alpha_0 = \dots$	$I = \dots$	$\beta =$	$\alpha_h = \dots$ IS:1893
4.	Foundation				
4.1	Soil type at site (Note 2)	Rock/stiff	Medium # Soft	Liquefiable	Expensive (B.C.) IS:1904
4.2	Type of Foundation	Strip	Indiv.Col.	Fottings/Raft Bearing Piles	Friction Piles IS:1893
5.	Load Bearing Wall Buildings				
5.1	Building Category	A($\alpha_h < .05$) B($\alpha_h = .05$ to $.06$) C($\alpha_h .06$ to $<.08$) D($\alpha_h .08$ to <0.12) E ($\alpha_h > 0.12$)			IS:4326
5.2	Bearing Walls	Brick	Stone	Solid Block	Hollow Block Adobe
5.3	Mortar (note 4)	C : S=1: ...	C:L:S=1: ...	L:S=1: ...	Clay Mud *
5.4	Floors	R.C.slabs	Stone slabs on joists	Prefab flooring elements	*
5.5	Roof structure	Flat like floors/ pitched	Trussed/ Raftered / A Frame/ Slopping	R.C. Slab	
5.6	Roof covering	CGI Sheeting	AC sheeting	Clay tiles/Slate	Wood shingle *
5.7	Opening in walls	Control used on sizes ?	Control used on location ?	Strengthening around ?	IS:4326
		Yes/No/NA	Yes/No/NA	Yes/No/NA	IS:13828
5.8	Bands Provided	Plinth Band	Lintel Band	Roof/Eave Band	Gable Band Ridge Band -do-
5.9	Vertical Bars	At corners of rooms		At jambs of openings	-do-
5.10	Stiffening of Prefab Floors/Roofs	R.C. screed & Band	Peripheral band and connectors	Diagonal planks and alround band	IS:4326

Handwritten signature

6.	Steel / R.C. frame buildings				
6.1	Building Shape	Both axes near symmetrical One axis near symmetrical / Unsymmetrical (Torsion considered)			
6.2	Infills / partitions	Out of plane stability check? Yes/ No In Plane stiffness considered? Yes/ No IS:1893,IS:4326			
6.3	Ductile Detailing of RC Frames	Beams ?	Columns ?	Beam column Joint ?	Sheer Walls? IS:13920
		YES / NO	YES / NO	YES / NO	YES / NO
6.4	Ductile Detailing of Steel Frames	Beams ?	Columns ?	Beam Column Joint ?	SP6(6)
		YES / NO	YES / NO	YES / NO	

Notes:-

1. Encircle the applicable Data point or insert information.
2. Stiff. $N > 30$: Medium. $N = 10.3$: Soft. $N < 10$: Liquefiable, poorly graded Sands with $N < 15$ under Water Table (see Note 5 of Table 1 in IS:1893) Where N = Standard Penetration (IS:2131-1981).
3. * Means any other, specify.
4. C= Cement, S= Sand, L= Lime

The above information is factually correct.

Signature of Owner with date

Signature of the Engineer who will Supervise the construction

Name (Block).....

Name (Block)..... Address:
Legible Seal:
(with address)

Signature of the Architect who had Supervised the construction

Name (Block).....
COA Registration No.....
Legible Seal :
(with address)

Handwritten signature

CERTIFICATE
(उपविधि संख्या-13.2)

(The certificate to be submitted with the application for building permission along with the building drawings and Building Information Schedule).

1. Certified that the building plans submitted for approval also satisfy the safety requirements as stipulated in the Indian Standard, Codes, guidelines and documents specified in the Annexure-I of the Building Bye-Laws regarding earthquake safety awareness and the information given in the attached Building Information Schedule, is factually correct to the best of my knowledge and understanding.
2. It is also certified that the structural design including safety from natural hazards including Earth Quake has been prepared by duly qualified graduate Civil Engineer along with Post Graduate Diploma or Degree in Structural Engineering from a recognized University.

3. **Location/Address of Building**

Plot No.....
Scheme/Colony.....
Town.....
District.....

4. **Particulars of Building**

1. Ground Coverage (sq mt)
2. Total covered area(sq mt)
3. Maximum Numbers of Floors above ground.

Signature of Owner with date

date

Name (Block).....
(Block).....

Address :

.....
.....
.....

Signature of the Architect who had Prepared the design with date

Name (Block).....
COA Registration No.....
Legible Seal (with address)

Signature of the Structural Engineer who had prepared the design with

Name

Legible Seal: (with address)

(Certificate to be given in each building plan to be submitted for sanction)
(उपविधि संख्या-13.2)

It is hereby certified that the structural and foundation design of the building for which map and plans are submitted for approval satisfy the safety requirements as stipulated in the relevant India Standard Codes, National Building Code, guide lines and documents specified in Annexure-1 Building Bye-Laws.

Signature of Ower with date	Signature of the Structural Engineer who had prepared the Design with date	Signature of the Architect who had Prepared the design with date
Name(Block)..... Address:.....	Name Block)..... Legible Seal: (With address)	Name (Block)..... COA Registration No..... Legible Sell(with address)

Handwritten signature

प्रपत्र-अ

आवासीय भवन के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र
(केवल 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर आवासीय भवन के लिए)
(उपविधि संख्या-3.1.8)

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

भाग-अ

1. (I) आवेदक का नाम
(II) वर्तमान पता
2. भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम/नगर
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)
4. भवन का अनुमन्य उपयोग
5. (I) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि
(II) परमिट संख्या
(III) यदि स्वतः अनुमोदित है तो उस प्राविधान के विवरण के साथ अन्य संगत विवरण भी दें जिससे यह सिद्ध हो सके कि यह प्रकरण स्वतः अनुमोदित प्राविधान से आच्छादित है एवं निर्धारित शर्तें पूर्ण की जा चुकी हैं।
6. (I) यदि अनधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र के अनुमोदन की संख्या तथा तिथि अंकित करें
(II) शमन शुल्क भुगतान की तिथि/तिथियाँ एवं रसीद संख्या/संख्याएं तथा शमन मानचित्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

रसीद संख्या :

दिनांक :

(Handwritten signature)

7. निर्माण की स्थिति: (निर्माणकलां स्वीकृत मानचित्र/ शमन मानचित्र जो लागू हा, उसके अनुसार विवरण दें)

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/ शमन किया गया
1	2	3	4	5

- 7.1 सट बैक (मीटर में)
(क) सामने
(ख) पीछे
(ग) दाएं
(घ) बाएं
- 7.2 ब्रेसमेन्ट (क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)
- 7.3 सुविधाएं (हाँ/नहीं में)
(क) जल आपूर्ति (हाँ/नहीं)
(ख) मलौत्सारण (हाँ/नहीं)
(ग) जल निकास (हाँ/नहीं)
(घ) विद्युत आपूर्ति (हाँ/नहीं)
(च) रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली (हाँ/नहीं)
(छ) सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र (500 वर्गमी. से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों में) (हाँ/नहीं)
- 7.4 भवन में आन्तरिक परिवर्तन -
(क) भवन उपविधि के अन्तर्गत (हाँ/नहीं)
(ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है। (हाँ/नहीं)
8. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। ऐसा कोई अनधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भवन पर किए गए निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए।

संलग्नक अभिलेख:

- 1.
- 2.
- 3.

दिनांक

आवेदन हेतु अधिकृत
आवेदक के हस्ताक्षर
(अधिकृत होने के प्रमाण-पत्र सहित)



परिशिष्ट-6

(प्रपत्र-अ पृष्ठ 3/4)

पंजीकृत वास्तुविद/अभियंता का प्रमाण-पत्र
(आवासीय भवन हेतु)

भाग-ब

मैंने श्री/श्रीमती

(आवेदक का नाम) के भवन संख्या - - - - - (पता सहित)

- - - - - का निरीक्षण दिनांक - - - - - को किया।
उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएँ जाँचोपरान्त सही पाई गई हैं। मेरी जाँच के निष्कर्ष निम्नवत् हैं -

- (I) निर्मित भवन परिषद द्वारा स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।
अथवा
- (II) निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह क्लॉक-7 पर अंकित कर दिया गया है।
अथवा
- (III) निर्मित भवन में जो भाग शमन के योग्य नहीं था उसे ध्वस्त करा दिया गया है। शेष निर्माण स्वीकृत मानचित्र/शमन मानचित्र के अनुसार है।
उक्त स्थिति में पूर्णता-प्रमाण पत्र निर्गत करने की सस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

पंजीकृत वास्तुविद/अभियंता

नाम/पता

काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर

की पंजीकरण संख्या/लाइसेन्स

संख्या

लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांक

भाग-स

रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण-पत्र
(आवासीय भवन हेतु)

निर्मित भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (रूप टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) का प्राविधान परिषद द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप किया गया है।

हस्ताक्षर:

पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति

नाम/पता

लाइसेन्स संख्या

दिनांक

भाग-द

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र :
(आवेदन पत्र के भाग- 'अ', 'ब' एवं 'स' की फोटोकॉपी पर जारी किया जाए)

----- योजना/नगर में स्थित भूखण्ड संख्या ----- पर निर्मित भवन
के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री ----- (पदनाम) -----
----- परिषद द्वारा कर लिया गया है एवं परिषद स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है।
अतः पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

अथवा

निम्नलिखित कारणों से स्थल निरीक्षण/सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, अतः पूर्णता प्रमाण पत्र
यास्तुविद्/अभियंता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है-

1.
2.

हस्ताक्षर-----

पदनाम-----

कार्यालय की मुहर-----

दिनांक-----



प्रपत्र-''ब''

ग्रुप हाऊसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र
(उपविधि संख्या-3.1.8)
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

भाग-अ

1. (I) आवेदक का नाम -----
(II) वर्तमान पता -----
2. भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम/नगर -----
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में) -----
4. भवन का अनुमन्य उपयोग -----
5. (I) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि -----
(II) परमिट संख्या -----
(III) यदि स्वतः अनुमोदित है तो प्राविधान का विवरण :
यदि भवन मानचित्र जमा करने की तिथि से निर्धारित अवधि में भवन मानचित्र अस्वीकृति की सूचना न दी गई हो -
मानचित्र जमा करने की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें : -----
6. (I) यदि अनधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें -----
(II) शमन शुल्क भुगतान की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें -----

7. निर्माण की स्थिति:

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

- 7.1 भू-आच्छादन(प्रतिशत)
- 7.2 एफ.ए.आर.
- 7.3 सैट बैक (दूरी मीटर में)
 - (क) सामने
 - (ख) पीछे
 - (ग) दाएं
 - (घ) बाएं

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

- 7.4 (अ) बेसमेन्ट क्षेत्रफल व मी. में)
- 7.4 (ब) बेसमेन्ट का उपयोग
- 7.5 स्टिल्ट फ्लोर
(अ) क्षेत्रफल
(ब) उपयोग
- 7.6 पार्किंग ((क्षेत्रफल व मी. में)
- 7.7 भवन की ऊँचाई (मीटर में)
- 7.8 मंजिलों की संख्या
- 8 अग्निशमन से सम्बन्धित कार्य
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी से फायर फाइटिंग सिस्टम की पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
- 9 सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शाया जाए:
(क) जल-आपूर्ति
(ख) मलौत्सारण
(ग) जल निकास
(घ) सोलर वाटर संयंत्र
(ङ) विद्युत आपूर्ति
(च) लिफ्ट
(घीफ इलैक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर, उ.प्र. से लिफ्ट के पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
10. गारवेज शूट (है/नहीं)
11. एविएशन क्षेत्र में स्थित होने की दशा में एविएशन लाइट्स लगी हैं/नहीं लगी हैं
12. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली (पंजीकृत अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
(है/नहीं)
13. भवन में आन्तरिक परिवर्तन
(क) उपविधियों के अन्तर्गत है/नहीं है
(ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है। हों/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। लागू भवन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसा अनधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भूखण्ड पर किए गए निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए।

संलग्नक अभिलेख:

1. आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर
2. (अधिकृत होने के प्रमाण-पत्र सहित)
- 3.

दिनांक

टिप्पणी :- 1. उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

2. भवन कामप्लेक्स में प्रत्येक ब्लॉक के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

भाग-ब

पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता का प्रमाण पत्र
(गुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (आवेदक का नाम) के भूखण्ड संख्या
खसरा संख्या - - - - - पर स्थित भवन संख्या - - - - - का
निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त
सूचनाएं सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या निम्नवत् है :-

निर्मित भवन, लागू उपविधियों एवं स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।
अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह कमांक-7 पर
अंकित कर दिया गया है।

भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है। इसकी
गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर के आधार पर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त
एवं सुरक्षित है।

अतः पूर्णता-प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर: पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता
नाम/पता
काउन्सिल आफ आर्कीटेक्ट्स का
पंजीकरण/लाइसेन्स संख्या
लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांक

भाग-स

रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र
(गुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

निर्मित भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (रूफ टाफ रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) का प्राविधान परिषद द्वारा
स्वीकृत भवन मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप किया गया है।

हस्ताक्षर:
पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति
नाम/पता
लाइसेन्स संख्या

दिनांक

परिशिष्ट-6

(प्रपत्र-ब पृष्ठ 4/4)

भाग-द

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :
(आवेदन पत्र के भाग 'अ', 'ब' एवं 'स' की फोटो कापी पर जारी किया जाए)

----- योजना/सेक्टर ----- /नगर ----- में स्थित भूखण्ड संख्या
----- पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री -----
(पदनाम) ----- परिषद द्वारा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य परिषद द्वारा दिनांक -----
----- को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता
है।

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय की मुहर

दिनांक



निर्माण कार्य एवं भूकम्प जोन के आधार पर 'स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स' की अर्हताएं
(उपविधि संख्या-13.5)

कार्य की श्रेणी	निर्माण कार्यों की श्रेणीवार सीमा जिसकी स्ट्रक्चरल डिजाइन करने के लिए कालम 4 व 5 में निर्दिष्ट इंजीनियर अधिकृत होंगे	भूकम्प जोन जिसमें निर्माण स्थित होंगे	अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए बहुमंजिले भवनों एवं सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं के डिजाइन एवं निर्माण के पर्यवेक्षण का न्यूनतम अनुभव (वर्षों में)		अन्य विवरण
			ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर के लिए	पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए	
1	2	3	4	5	6
(अ)	अधिकतम 4 मंजिला अथवा 12 मीटर ऊँचाई अथवा 2500 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिले भवनों/ महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए	(i) जोन 3 तक (ii) जोन 4 व 5	3 5	1 3	— —
(ब)	अधिकतम 8 मंजिला अथवा 24 मीटर ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिले भवनों/ महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए	(i) जोन 3 तक (ii) जोन 4 व 5	7 9	5 7	— —
(स)	8 मंजिला अथवा 24 मीटर से अधिक ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया से अधिक बहुमंजिले भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए।	जोन 1 से 5 तक	10	8	स्ट्रक्चरल डिजाइन, को आई. आई. टी., रुड़की विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से प्रति हस्ताक्षरित कराना होगा।